कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

एम.बी.एस. मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा (राज0)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक एफ–5( )शैक्ष. / कोविको / 2021 / 4979   दिनांक 27-8-2021

प्राचार्य,
कौटिल्य कॉलेज,
एन.एच.–27, बाईपास रावतभाटा रोड,
नया गाँव, कोटा (राज.)

विषयः– नवीन महाविद्यालय में सत्र 2021–22 से 2023–24 तक की बी.एस.सी. पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की संख्या के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का सत्र 2021–22 से 2023–24 तक की नवीन बी.एस.सी. पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता हेतु निरीक्षण दल का गठन कर निरीक्षण करवाया गया था। निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट में नवीन महाविद्यालय में सत्र 2021–22 से 2023–24 तक बी.एस.सी. (बायो वर्ग) में एक सेक्शन (70 सीटों तक) तथा बी.एस.सी. (गणित वर्ग) में एक सेक्शन (70 सीटों तक) प्रवेश दिये जाने की महाविद्यालय में व्याप्त कमियों की पूर्ति की शर्त पर अनुशंषा की गई है।

महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2023–24 का राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात ही उक्त सत्र में छात्रों को प्रवेश देवें।

साथ ही निरीक्षण में पाई गई कमियों की पूर्ति सुनिश्चित करने पर उक्त संकाय में निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों को इस सत्र एवं आगामी सत्रों में प्रवेश न दें अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा शास्ति लगाते हुए, अतिरिक्त प्रवेशित छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय / समिति प्रशासन की होगी। इस पत्र को प्राथमिकता दें।

(डॉ. आर.के. उपाध्याय)
कुलसचिव

PRINCIPAL
KAUTILYA COLLEGE, KOTA

8/27/2021 3:45 PM

D:\Affiliation_work\21.07.2020\2020\All Hindi Letter's 2020.docx

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (104)आकाशि/नि.सं./2020/ 166 दिनांक:- 29.10.2020

आदेश

.राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020–21 से 2022–2023 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
सुगरा शिक्षण संस्थान, कौटिल्य कैम्पस, NH–27 बाईपास रावतभाटा रोड, नया गाँव, कोटा।	कौटिल्य कॉलेज, NH–27 बाईपास रावतभाटा रोड, नया गाँव, कोटा।	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय– भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र।

1. संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2023–24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वंय की भूमि पर स्वंय के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
4. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
5. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी ।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आबंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा ।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020–21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, कोटा।
5. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

PRINCIPAL
KAUTILYA COLLEGE, KOTA